

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक/अ.सं.छा./प्री.मै./न.क्रं.-01(पार्ट-1)/19-20/
प्रति,

3964

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3/8/19

सर्व सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
जिला (छ0ग0)

विषय :- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्रों को प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2019-20.

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मेरिट-कम-मीन्स, प्री. मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (scholarships.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते हैं। विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि इस पोर्टल पर कई फर्जी आवेदन एवं उनकी फर्जी तरीके से scrutiny के कई प्रयास किये गये हैं। अतः भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा संस्थाओं के प्रमाणीकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गये हैं :-

1. All Institutes/School that do not have valid AISHE/DISE codes have been deregistered. A provision has been made for their re-registration after obtaining valid AISHE/DISE code.
2. Email ids and mobile numbers of all Institutes/Schools registered/stored in NSP have been deactivated. District/State Nodal officers, as the case may be, will verify credentials of the Institute/School Nodal Officer and reset his/her password through a well-defined procedure, wherein, the Institute/School nodal officer will fill up an online form on the portal and get the printout authenticated in Duplicate with his/her Head of the Institute/School and submit it to the District/State Nodal officer. On verification, District/State Nodal officer will activate the account of the Institute/School on the Portal using their login credentials.
3. District/State Nodal officer will retain a copy of duly authenticated online form, received from Institute/School; and return the second copy to the Institute/School for their respective records. It will be responsibility of the Institute/School to retain the copy received from District/State Nodal Officer and produce it to the appropriate authority on demand.

यदि किसी शैक्षणिक संस्थानों/विद्यालयों द्वारा उक्त प्रक्रिया निर्धारित समयावधि (संस्था स्तर पर **scrutiny** के लिए निर्धारित अंतिम तिथि) में नहीं की जाती है और उसके कारण यदि उनकी संस्था के किसी विद्यार्थी के आवेदन की समय पर **scrutiny** नहीं हो पाती है, तो इसके लिए संबंधित संस्था जिम्मेदार होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिला अन्तर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों/विद्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार बसल)
संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

पृ.क्रमांक/अ.सं.छा./प्री.मै./न.क्र.-01(पार्ट-1)/19-20/3965 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3/8/19
प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग. की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके विभाग के सभी जिला अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग. की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके विभाग के सभी जिला अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. सर्व कलेक्टर, जिला छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर